न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 61/2020
लियाकत अली पुत्र अकबर अली, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

––

अपील विरूद्व नामान्तरकरण ग्राम सुलताना संख्या 2766 दिनांक 01.01.2020 जो दिनांक 15.01.2020 को न्यायालय तहसीलदार चिडावा द्वारा तस्दीक किया गया है।

––

उपस्थित
1. श्री हजारी लाल सुनिया, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 17.02.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार सूरजगढ के आदेश दिनांक 01.01.2020 नामान्तरकरण संख्या 2766 वाके ग्राम सुलताना के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट के अनुसार मौजा ग्राम सुलताना में अपीलान्ट की कब्जे अधिकार की भूमि ख0न0 646 रकबा 1.50 है0 भूमि में से अपीलान्ट के पिता अकबर अली पुत्र बरखु जाति व्यापारी निवासी सुलताना ने दिनांक 18.07.1984 को सांवरमल पुत्र स्व. रामेश्वरलाल स्वामी निवासी सुलताना तहसील चिडावा से 4 बीघा 18 बिश्वा भूमि राशि 19600/– रूपये में क्रय की थी जो कि उक्त भूमि विक्रेता सांवरमल के पिता रामेश्वरलाल की खातेदारी में दर्ज रही है तथा अपीलान्ट के पिता ने उक्त भूमि उक्त सांवरमल से दिनांक 18.07.1984 को क्रय कर कब्जा उक्त भूमि उक्त सांवरमल से दिनांक 18.07.1984 को क्रय कर कब्जा उक्त भूमि पर प्राप्त कर लिया था तथा अपीलान्ट कि पिता अकबर अली की मृत्यु के बाद अपीलान्ट व उसके भाई उक्त भूमि ख.न. 646 पर स्थाई रूप से मकान बनाकर परिवार सहित आबाद है तथा अपीलान्ट व उसके भाई मय मकान बनाकर पानी बिजली का कनेक्शन लेकर स्थाई रूप से काबिज आबाद है तथा उक्त भूमि का रेस्पोडैन्ट ने दिनांक 15.01.20220 को विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरण संख्या 2766 अपीलान्ट को सुने बिना विधि विरूद्व तरिके से नामान्तरण तस्दीक कर दिया जो अपीलान्ट के अधिकारो के विपरीत है उक्त नामान्तरण

कलक्टर झुन्झुनूं

तहसीलदार चिडावा ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व कानून की पालना किये बिना गलत तरीके से दिनांक 15.01.2020 को उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण रेस्पोडेन्ट ने गलत आधारो पर स्वीकार कर दर्ज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट यह अपील निम्नलिखित आधारो पर पेश कर रहा है कि न्यायालय तहसीलदार चिडावा का नामान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2020 खिलाफ पत्रावली कानून व न्याय है। तहसीलदार चिडावा ने नामान्तरण संख्या 2766 दिनांक 15.01.2020 बिना माईण्ड अप्लाई किये तस्दीक किया है। तहसीलदार चिडावा ने दिनांक 15.01.2020 को उक्त नामान्तरण नियम विरूद्ध दर्ज किया है। उक्त नामान्तरण संख्या 2766 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत अपीलान्ट को सुने बिना उसकी गैर मौजूदगी मे दर्ज किया है। तहसीलदार चिडावा ने उक्त नामान्तरण संख्या 2766 में वर्णित भूमि के कब्जे काश्त की जांच किये बिना नामान्तरण संख्या 2766 दर्ज किया है। उक्त वर्णित भूमि ख0न0 646 पर अपीलान्ट तथा अपीलान्ट के भाई मौ0 रफीक, इलियास, अब्दुल, लतीफ, सरीफ, अब्बास तथा रफीक के पुत्र क्यूम, सारूख तथा इलियास के पुत्र जीमल तथा अब्दुल लतीफ के पुत्र मुस्लिम तथा अब्बास के पुत्र वसीद तथा अपीलान्ट के पुत्र सजाद, मंजूर, साजीद यह सभी उक्त वर्णित विवादित भूमि ख0न0 646 पर पुख्ता रूप से पक्के मकानात बनाकर परिवार सहित पानी व बिजली के कनेक्शन लेकर आबाद है तथा अपीलान्ट व उपर वर्णित लोगो का पुख्ता रूप से कब्जा है तथा रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरण संख्या 2766 मंजूर करने से पूर्व कब्जे की जांच किये बिना तथा कब्जाधारियो को सुने बिना उक्त नामान्तरण मंजूर किया है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील मंजूर की जाकर न्यायालय तहसीलदार चिडावा द्वारा दिनांक 15.01.2020 को नामान्तरण संख्या 2766 जो रेस्पोडेन्ट ने भरा है को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय तहसीलदार चिडावा ने उक्त नामान्तरण संख्या 2766 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत अपीलान्ट को सुने बिना उसकी गैर मौजूदगी मे दर्ज किया है। तहसीलदार चिडावा ने उक्त नामान्तरण संख्या 2766 में वर्णित भूमि के कब्जे काश्त की जांच किये बिना नामान्तरण संख्या 2766 दर्ज किया है। उक्त वर्णित भूमि ख0न0 646 पर अपीलान्ट तथा अपीलान्ट के भाई मौ0 रफीक, इलियास, अब्दुल, लतीफ, सरीफ, अब्बास तथा रफीक के पुत्र क्यूम, सारूख तथा इलियास के पुत्र जीमल तथा अब्दुल लतीफ के पुत्र मुस्लिम तथा अब्बास के पुत्र वसीद तथा अपीलान्ट के पुत्र सजाद, मंजूर, साजीद यह सभी उक्त वर्णित विवादित भूमि ख0न0 646 पर पुख्ता रूप से पक्के मकानात बनाकर परिवार सहित पानी व बिजली के कनेक्शन लेकर आबाद है तथा अपीलान्ट व उपर वर्णित लोगो का पुख्ता रूप से कब्जा है तथा रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरण संख्या 2766 मंजूर करने से पूर्व कब्जे की जांच किये बिना तथा कब्जाधारियो को सुने बिना उक्त नामान्तरण मंजूर किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार चिडावा द्वारा दिनांक 15.01.2020 को नामान्तरण संख्या 2766 जो रेस्पोडेन्ट ने भरा है को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने वकील अपीलान्ट के तर्कों का विरोध कर कथन किया कि विवादित भूमि के क्रम मे अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण सही है जो बाद जांच ही भरा गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायालय तहसीलदार चिडावा ने नामान्तरण संख्या 2766 अपीलान्ट को सुने बिना उसकी गैर मौजूदगी मे दर्ज किया है। उक्त नामान्तरण संख्या 2766 में वर्णित भूमि के कब्जे काश्त की जांच नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण मे विवादित भूमि की मौका एवं दस्तावेजों की जांच कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई को मौका दिया जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/02/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं